रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 1972/वैशाख 5, 1894
No. 220] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 1972/VAISAKHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 29th March 1972

S.O. 315(E).—In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194-A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notify the Cawnpore Anti-Tuberculosis Association, Kanpur, for the purposes of the said sub-clause.

[No. 67/F. No.. 275/86/71-ITJ.]
S. K. LALL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1972

एस० ओ० 315(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194-क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) के उपखंड (च) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कानपुर क्षयरोग निवारण संगम, कानपुर को, उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

[सं० 67-फा० सं० 275/86/71—आई० टी०जे०]
एस० के० लाल, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972